Hindi

# कामगारों के अधिकार

कामगारों को लाइसेंस के द्वारा सुरक्षा प्रदान करना

GLA Gangmasters Licensing Authority

टेलीफ़ोनः **+44 (0)845 602 5020**

**www.gla.defra.gov.uk**

# हम किस प्रकार आपकी मदद कर सकते हैं

## GLA (जीएलए) एक संस्था है जिसकी स्थापना आपको शोषण से बचाने के लिए की गई है।

हमारी लाइसेंस योजना उन व्यवसायों को नियंत्रित करता है जो ताजे उत्पाद सप्लाई चेन को कामगार उपलब्ध कराते हैं। यह योजना सुनिश्चित करती है कि कामगार उपलब्ध करने वाले व्यवसाय (श्रमिक प्रदाता, गैंगमास्टर्स या एजेंसियाँ) और कामगारों की मांग करने वाले व्यवसाय (श्रमिक उपयोगकर्ता, किसान, पैकहाउस) कानून द्वारा आवश्यक रोजगार मानक का पालन करें।

### योजना में कौनसे क्षेत्र शामिल हैं?

लाइसेंस योजना के तहत बहुत सारे क्षेत्र शामिल हैं: कृषि, बागवानी, वानिकी, मत्स्य संसाधन, शेल्फिश संग्रहण, दुग्ध कृषि और खाद्य एवं पेय उत्पादों का पैकेजिंग या संसाधन।

इसलिए यदि आपका श्रमिक प्रदाता इन इनमें से किसी क्षेत्र को कामगार उपलब्ध कराता है तो उसे गैंगमास्टर्स लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी।

# आपके रोजगार अधिकार

कामगार के रूप में आपके अधिकार यूके के कानून द्वारा सुरक्षित हैं। कुछ अधिकार तत्काल प्रभाव में आ जाते हैं, और कुछ इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप कितने समय काम करते हैं। निम्नलिखित पेज एक मूलभूत रूपरेखा प्रदान करते हैं कि आप अपने श्रमिक प्रदाता से किन चीजों की आशा कर सकते हैं। ये आपके रोजगार अधिकार हैं।

## राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन

यदि आप किसी स्थाई नौकरी, अल्पकालीन कॉन्ट्रैक्ट या किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं तो आपको राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन (NMW) मिलना चाहिए। अधिकतर कृषिक कामगार NMW से ज्यादा अतिरिक्त वेतन दर के अधिकारी हैं। यदि आप कार्य के हिस्से का वेतन पाते हैं तो भी आपको न्यूनतम वेतन दर मिलना चाहिए। स्वनियोजित और अवैतनिक कामगार जैसे कुछ अपवाद हैं। नवीनतम जानकारी के लिए वेतन एवं कार्य अधिकार हेल्पलाइन को कॉल करें या वेबसाइट (विवरण पृष्ठ 12 पर) देखें।

## कार्य के घंटे

आपको एक सप्ताह में 48 घंटों से ज्यादा कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें ओवरटाइम शामिल होगा, बशर्ते आपने इसे शामिल नहीं करने का निर्णय न लिया हो। आपके श्रमिक प्रदाता को लिखित रिकॉर्ड रखना चाहिए जिसमें आपने अतिरिक्त घंटे कार्य करने की सहमति जताई हो।

आप प्रति सप्ताह न्यूनतम एक दिन अवकाश लेने के अधिकारी हैं और यदि आप एक दिन में छह घंटों से ज्यादा कार्य करते हैं तो आपको विश्राम के लिए कम से कम 20 मिनटों का विराम मिलना चाहिए।

## वार्षिक अवकाश

आप कानून के मुताबिक कार्य आरंभ करने के पहले दिन से ही एक वर्ष में न्यूनतम एक सप्ताह के वैतनिक अवकाश के अधिकारी हैं। इसमें पार्ट टाइम और निर्दिष्ट अवधि कॉन्ट्रैक्ट कामगार शामिल हैं। नवीनतम जानकारी के लिए वेतन और कार्य अधिकार हेल्पलाइन को कॉल करें या direct.gov.uk देखें।

आपकी अवकाश पात्रता का विवरण आपके रोजगार कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। यह आपके सामान्य कार्य घंटे (पार्ट टाइम कामगारों के लिए यथानुपात) जो आप अपने मालिक के लिए कार्य करने के दौरान अर्जित करते हैं पर आधारित होता है और सामान्य कार्य दर से भुगतान किया जाना चाहिए।

जब आप नौकरी छोड़ते हैं तो आप के द्वारा नहीं ली गई सारी अवकाशों का भुगतान आपको किया जाना चाहिए। यदि आपका मालिक आपको अवकाश नहीं प्रदान करता या आपके द्वारा अर्जित अवकाश का भुगतान नहीं करता तो आप रकम पाने हेतु मार्गदर्शन के लिए वेतन एवं कार्य अधिकार हेल्पलाइन या नागरिक सलाह से संपर्क कर सकते हैं।

## मदवार वेतन पर्ची

वेतन भुगतान वाले दिन आपको एक वेतन पर्ची मिलना चाहिए जिसमें सकल वेतन और वास्तविक वेतन प्रदर्शित हो। इसमें वेतन से किसी भी प्रकार की कटौती की राशि और उद्देश्य का वर्णन होना चाहिए। टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस जैसी साप्ताहिक तौर पर बदल सकने वाली कटौतियाँ प्रत्येक वेतन पर्ची में दर्ज होना चाहिए। आपको सम्मत वेतन समय पर मिल जाना चाहिए जिसमें अवकाश या बीमारी वेतन भी शामिल होगा।

## वेतन की कटौती

आपका श्रमिक प्रदाता आपके वेतन से कुछ खास कटौती ही कर सकता है और वेतन पर्ची में उनका उल्लेख होना चाहिए। इसमें वैधानिक कटौती जैसे टैक्स और राष्ट्रीय बीमा योगदान, आपके रोजगार कॉन्ट्रैक्ट की कटौती जिसकी सहमति आपने जताई हो अथवा यातायात या आवास जैसी कटौती जिसके लिए आपने लिखित अनुमति दी हो शामिल होने चाहिए।

यदि आप किसी कटौती के लिए सहमत हैं तब भी इससे आपका वेतन न्यूनतम वेतन से कम नहीं होना चाहिए, सिवाय आवास हेतु एक सीमित राशि के। मार्गदर्शन के लिए वेतन एवं कार्य अधिकार हेल्पलाइन से संपर्क करें।

## स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

कार्यस्थल पर आपके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की कानूनी जिम्मेदारी आपके मालिक की है। आपके श्रमिक प्रदाता एवं श्रमिक उपयोगकर्ता को सहमत होना पड़ेगा कि आपके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कौन होगा। आपको स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जानकारी, प्रशिक्षण एवं रक्षात्मक वस्त्र निःशुल्क मिलने चाहिए।

## रोग वेतन

आपके रोजगार कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट होना चाहिए कि बीमार रहने के कारण कार्य नहीं कर पाने पर आपको क्या वेतन मिलेगा। लगातार चार या अधिक दिनों तक कार्य नहीं कर पाने पर आप न्यूनतम रोग वेतन (SSP) के हकदार हैं, परंतु आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको अतिरिक्त वेतन या लाभ प्रदान कर सकता है।

## आपके नियम एवं शर्तें

यह आपके एवं वह व्यक्ति जिसके लिए आप कार्य करते हैं के बीच एक समझौता है। कानूनी तौर पर, यदि आपको एक महीने से अधिक अवधि के लिए रोजगार दिया गया है तो आपको नियम एवं शर्तों की लिखित जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।

आपको कार्य आरंभ करने के दो महीनों के अंदर लिखित वक्तव्य प्राप्त हो जाना चाहिए और इसमें निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होनी चाहिए:

- आपका नाम
- आप किसके लिए कार्य करेंगे
- आप किस प्रकार का कार्य करेंगे
- कार्य आरंभ करने की तिथि
- कार्य स्थल
- वेतन की राशि और कब आपको भुगतान किया जाएगा (साप्ताहिक या मासिक)
- कार्य के घंटे
- छुट्टियों की पात्रता
- बीमार वेतन की पात्रता
- अनुशासनिक, बर्खास्तगी और शिकायत प्रक्रिया
- नोटिस जो आप इस्तीफ़ा देते समय देंगे या बर्खास्त किए जाते समय प्राप्त करेंगे

आपके मालिक आपकी अनुमति से ही कॉन्ट्रैक्ट के नियम एवं शर्तों में परिवर्तन कर सकते हैं।

# कामगार के शोषण को रोकने में मदद करें

हमें आपके अधिकारों की सुरक्षा और आपके हक वाली परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने के लिए आपके मदद की जरूरत है। यदि आपको महसूस होता है कि आपके साथ उचित और न्यायसंगत व्यवहार नहीं किया गया है, तो कृपया हमें संपर्क करें।

- हमसे सीधे बात करने के लिए 0845 602 5020 पर कॉल करें। हमारी फ़ोन लाइनें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:00 बजे से संध्या 5:00 बजे तक खुली होती हैं।
- हमारी इंटेलीजेंस टीम को intelligence@gla.gsi.gov.uk पर ई-मेल करें।
- हमारी अज्ञात सूचना फ़ॉर्म का उपयोग करें जो कई भाषाओं में www.gla.defra.gov.uk पर ऑनलाइन उपलब्ध है।
- हमें इस पते पर लिखें GLA, PO Box 10272, Nottingham, NG2 9PB

यदि आप किसी अनुभवी सलाहकार के साथ अपने रोजगार अधिकार के बारे में विचार विमर्श करना चाहते हैं तो आप मदद एवं मार्गदर्शन के लिए नागरिक सलाह ब्यूरो से संपर्क कर सकते हैं।

# आपके श्रमिक प्रदाता की जिम्मेदारी

आपके श्रमिक प्रदाता के पास नियंत्रित क्षेत्रों में कानूनी रूप से कार्य करने के लिए गैंगमास्टर्स लाइसेंस होना चाहिए।

लाइसेंस के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने के लिए, श्रमिक प्रदाताओं को यह दिखाना होगा कि वे GLA लाइसेंस मानक की शर्तों (पृष्ठ 10 देखें) को पूरा करते हैं। ये मानक कामगारों को खराब व्यवहार और शोषण से बचाने के लिए कानूनी आवश्यकताएँ है।

श्रमिक प्रदाताओं को अपना लाइसेंस बचाए रखने के लिए लाइसेंस मानकों का अनुपालन जारी रखना होगा। यदि आप चिंतित हैं कि कोई श्रमिक प्रदाता मानक को पूरा नहीं कर पा रहा है या बगैर लाइसेंस कार्य कर रहा है तो हमें संपर्क करें।

ये सिर्फ गैंगमास्टर्स लाइसेंस की शर्ते नहीं हैं, ये आपके कानूनी अधिकार भी हैं - आपके साथ उचित व्यवहार किया जा रहा है यह सुनिश्चित करना आपके मालिक की जिम्मेदारी है।

# लाइसेंस मानक

GLA लाइसेंस मानक उन शर्तों को निर्धारित करते हैं जिन्हें पूरा करना एक लाइसेंस पाने के लिए जरूरी हैं।
शामिल किए क्षेत्र निम्न हैं:

- समुचित और उपयुक्त जांच
- वेतन और टैक्स मुद्दे
- जबरन मजदूरी और कामगारों के साथ दुर्व्यवहार पर रोकथाम
- आवास
- कार्य की परिस्थिति
- स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
- कामगार भरती करना और संविदात्मक व्यवस्था
- सब-कॉन्ट्रैक्ट और अन्य श्रमिक प्रदाता का उपयोग करना

अधिक जानकारी के लिए आप GLA लाइसेंस मानक पुस्तिका की एक प्रतिलिपि का अनुरोध कर सकते हैं।

# अतिरिक्त मदद एवं मार्गदर्शन

अनेक संगठन आपको आपके सारे रोजगार अधिकार के बारे में विस्तृत सलाह दे सकते हैं।

**नागरिक सलाह ब्यूरो**
यूके भर में स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से सारे मुद्दों पर मुफ़्त, निष्पक्ष और गोपनीय सलाह।
www.adviceguide.org.uk

**नागरिक सलाह ब्यूरो - इंगलैंड और वेल्स**
www.citizensadvice.org.uk
टेलीफ़ोन: +44 (0)20 7833 2181
आपके स्थानीय कार्यालय नंबर के लिए

**नागरिक सलाह ब्यूरो - नॉदर्न आयरलैंड**
www.citizensadvice.co.uk
टेलीफ़ोन: +44 (0) 289 023 1120
आपके स्थानीय कार्यालय नंबर के लिए

**नागरिक सलाह ब्यूरो - स्कॉटलैंड**
www.cas.org.uk
टेलीफ़ोन: +44 (0) 131 550 1000
आपके स्थानीय कार्यालय नंबर के लिए

## डायरेक्टगोव

बहुत सारे सरकारी विभागों से जानकारी - वेतन, विश्राम विराम, अवकाश पात्रता, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और निरार्थकता हेतु रोजगार अनुभाग देखें।

www.direct.gov.uk

## वेतन और कार्य अधिकार हेल्पलाइन

राष्ट्रीय एवं कृषिक न्यूनतम वेतन, कार्य के घंटे और रोजगार एजेंसियों पर सलाह। मुफ्त कॉल।

www.direct.gov.uk/paysandworkrights

टेलीफ़ोनः +44 (0) 800 917 2368

## परामर्श, समझौता एवं मध्यस्थता सेवा

(ACAS)

रोजगार अधिकार और कार्यस्थल विवादों के निपटारे पर मुफ्त, स्वतंत्र मार्गदर्शन प्रदान करता है।

www.acas.org.uk

टेलीफ़ोनः+44 (0) 845 747 4747

## श्रमिक संघ सम्मेलन (TUC)

www.tuc.org.uk

टेलीफ़ोनः +44 (0)20 7636 4030

## कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारी से विस्तृत मार्गदर्शन के लिए कामगार के अधिकार लिंक क्लिक करें।

www.hse.gov.uk

टेलीफ़ोनः +44 (0) 845 345 0055

## राष्ट्रीय बीमा नंबर

राष्ट्रीय बीमा नंबर हेतु आवेदन के लिए जॉबसेंटर प्लस से संपर्क करें।

www.jobcentreplus.gov.uk

टेलीफ़ोनः +44 (0) 845 600 0643

## क्राइमस्टॉपर्स

आप अपराध के बारे में जानकारी के साथ क्राइमस्टॉपर्स को मुफ़्त, किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। आपको अपना नाम छोड़ने की जरूरत नहीं हैं और आपके कॉल का पता नहीं लगाया जा सकता है।

www.crimestoppers-uk.org

टेलीफ़ोनः +44 (0) 800 555 111

# हमें संपर्क करें

Gangmasters
Licensing Authority

Gangmasters Licensing Authority
PO Box 10272 ■ Nottingham ■ NG2 9PB
www.gla.defra.gov.uk
ई-मेलः enquiries@gla.gsi.gov.uk
टेलीफ़ोनः +44 (0)845 602 5020

FREEPHONE
PAY & WORK RIGHTS HELPLINE
0800 917 2368
Direct.gov.uk/payandworkrights

workers rights leaflet/09.12/hindi